2013 का विधेयक संख्यांक 111

[दि सिक्यूरिटीज लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2013 का हिन्दी अनुवाद]

प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992,
प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956
और निक्षेपागार अधिनियम, 1996
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1
प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रतिभूति विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 है ।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, यह 18 जुलाई, 2013 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

अध्याय 2
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 का संशोधन

धारा 11 का संशोधन।

1992 का 15

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 में,—

(i) उपधारा (2) में,—

(क) खंड (झक) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(झक) किसी केंद्रीय, राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित किसी बैंक या किसी अन्य प्राधिकारी या बोर्ड या निगम सहित किसी व्यक्ति से ऐसी सूचना और अभिलेख मंगाना, जो बोर्ड की राय में ऐसी प्रतिभूतियों में किसी संव्यवहार की बाबत बोर्ड द्वारा किसी अन्वेषण या जांच के लिए सुसंगत होगा ;" ;

(ख) खंड (झक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और उसको 6 मार्च, 1998 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"(झख) प्रतिभूति विधियों के संबंध में अतिक्रमणों के निवारण या उनका पता लगाने से संबंधित मामलों में, इस संबंध में तत्समय प्रवृत्त किन्हीं अन्य विधियों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड के समान कृत्य करने वाले अन्य प्राधिकारियों से, चाहे वे भारत में हों या भारत के बाहर, सूचना मंगाना या उनको सूचना देना :

परंतु बोर्ड, भारत से बाहर किसी प्राधिकारी को किसी सूचना को देने के प्रयोजन के लिए, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे प्राधिकरण के साथ कोई ठहराव या करार या बात तय कर सकेगा ;" ;

(ii) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(5) यथास्थिति, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 11ख या धारा 12क या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 19 के अधीन जारी निदेश के अनुसरण में प्रत्यर्पित रकम को, बोर्ड द्वारा स्थापित विनिधानकर्ता संरक्षण और शिक्षा निधि में जमा किया जाएगा और ऐसी रकम का, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार बोर्ड द्वारा उपयोग किया जाएगा ।"। 1956 का 42 1996 का 22

धारा 11कक का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 11कक में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) "उपधारा (2)", शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात् "या उपधारा (2क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) निम्नलिखित **परंतुक** अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु किसी स्कीम या ठहराव के अधीन निधियों का पूल किया जाना, जो बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है या उपधारा (3) के अधीन समाविष्ट नहीं है, जिसमें एक सौ करोड़ रुपए या अधिक की समग्र रकम अंतर्वलित है, सामूहिक विनिधान स्कीम होना समझा जाएगा ।" ;

(ii) उपधारा (2) के आरंभिक भाग में, "कंपनी" शब्द के स्थान पर "व्यक्ति" शब्द रखा जाएगा ;

(iii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2क) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार विनिर्दिष्ट की जाने वाली शर्तों का समाधान करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा बनाई गई या प्रस्थापित की गई कोई स्कीम या ठहराव ।" ;

(iv) उपधारा (3) में,—

(क) "उपधारा (2)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात् "या उपधारा (2क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड (viii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ix) ऐसी अन्य स्कीम या ठहराव जिसको केन्द्रीय सरकार, बोर्ड के परामर्श से अधिसूचित करे,"।

4. मूल अधिनियम की धारा 11ख में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 11ख का संशोधन।

"**स्पष्टीकरण**— शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के अधीन निदेशों को जारी करने की शक्ति में, किसी ऐसे व्यक्ति को, निदेश करने की शक्ति सम्मिलित होगी और सदैव उसका सम्मिलित होना समझा जाएगा, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उल्लंघन में, किसी संव्यवहार या क्रियाकलाप में लगकर, ऐसे उल्लंघन से कमाए गए सदोष अभिलाभ या टाली गई हानि के समान रकम का प्रत्यर्पण करने के लिए लाभ कमाता है या हानि को टालता है ।" ।

5. मूल अधिनियम की धारा 11ग में,— धारा 11ग का संशोधन।

(i) उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(8) जहां किसी अन्वेषण के अनुक्रम में, अन्वेषण प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि, यथास्थिति, किसी व्यक्ति या उद्यम, जिसको उपधारा (3) के अधीन कोई सूचना जारी की गई है या जारी की जानी चाहिए,—

(क) ने सूचना में यथाअपेक्षित किसी जानकारी का लोप किया है या उसको प्रदान करने में या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में असफल रहा है ; या

(ख) ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं कराएगा या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कराएगा, जो अन्वेषण के लिए उपयोगी या उसके लिए सुसंगत होगी ; या

(ग) अन्वेषण के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत सूचना या दस्तावेजों को नष्ट, विकृत, परिवर्तित, मिथ्याकृत करेगा या छिपाएगा,

तो अध्यक्ष का यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि ऐसा करना आवश्यक है वह, अन्वेषण प्राधिकारी या बोर्ड के किसी अन्य अधिकारी को (सभी मामलों में इस प्रकार प्राधिकृत किए गए अधिकारी को इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी कहा गया है), निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत कर सकेगा,—

(i) ऐसे भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान में, जहां ऐसी सूचना या दस्तावेज रखे जाने की प्रत्याशा है या विश्वास किया जाता है, ऐसी सहायता के साथ, जिसकी अपेक्षा की जाए, प्रविष्ट और तलाशी लेने के लिए ;

(ii) उपखंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, किसी दरवाजे, सन्दूक, लॉकर, सुरक्षित अलमारी या अन्य आधान के ताले को तोड़ने के लिए, जहां उसकी चाबियां उपलब्ध नहीं हैं ;

(iii) किसी ऐसे व्यक्ति की तलाशी लेने के लिए, जो किसी भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान में है या होने की संभावना है या उसमें है, यदि प्राधिकृत अधिकारी को यह संदेह करनें का कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने स्वयं को, किन्हीं ऐसी लेखाबहियों को या अन्य दस्तावेजों को छुपाया हुआ है ;

(iv) ऐसे व्यक्ति से, जिसका, इलैक्ट्रानिक अभिलेख के रूप में अनुरक्षित किन्हीं लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों पर कब्जा या नियंत्रण पाया जाता है, प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान करने के लिए, अपेक्षा करने के लिए ।

स्पष्टीकरण— इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए "इलैक्ट्रानिक अभिलेख" पद का वह अर्थ होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (न) में है ; 2000 का 21

(v) ऐसी तलाशी के परिणामस्वरूप पाई गई ऐसी किन्हीं लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों के अभिग्रहण के लिए ;

(vi) किन्हीं लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों पर पहचान के चिह्न लगाने के लिए या उनमें से उद्धरणों या प्रतियों को बनाने या बनवाने के लिए ;

(vii) ऐसे किसी व्यक्ति का, जिसका उपखंड (i), उपखंड (iii) और उपखंड (iv) में निर्दिष्ट किसी सूचना या दस्तावेजों पर कब्जा या नियंत्रण होना पाया जाता है, शपथ पर कथन अभिलिखित करने के लिए ।" ;

(ii) उपधारा (9) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(9) बोर्ड, इस धारा के अधीन किसी तलाशी या अभिग्रहण के संबंध में विनियम बना सकेगा और विशिष्टतया, पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्नलिखित के लिए अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया के लिए उपबंध कर सकेंगे,—

(क) तलाशी लिए जाने वाले ऐसे किसी भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान में, जहां उनमें मुक्त प्रवेश उपलब्ध नहीं है, प्रवेश अभिप्राप्त करने के लिए ;

(ख) अभिगृहीत किन्हीं लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों या आस्तियों की सुरक्षित अभिरक्षा अभिनिश्चित करने के लिए ।" ;

(iii) उपधारा 10 में, "और इस प्रकार लौटने के बारे में मजिस्ट्रेट को सूचना देगा" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

नई धारा 15ञख का अंतःस्थापन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 15ञक के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी और उसको 20 अप्रैल, 2007 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा ।

"15ञख.(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध कोई कार्यवाहियां धारा 11, धारा 11ख, धारा 11घ, धारा 12 की उपधारा (3) या धारा 15झ के अधीन आरंभ की गई हैं या आरंभ की जा सकेंगी, अभिकथित व्यतिक्रमों के लिए आरंभ की गई या आरंभ की जाने वाली कार्यवाहियों के निपटारे का प्रस्ताव करने के लिए बोर्ड को लिखित में आवेदन फाइल कर सकेगा ।

(2) बोर्ड, व्यतिक्रमों की प्रकृति, गंभीरता और समाघात पर विचार करने के पश्चात्, व्यतिक्रमी द्वारा ऐसी राशि के संदाय पर या ऐसे अन्य निबंधनों पर, जो बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार अवधारित किए जाएं, निपटारे के लिए प्रस्ताव से सहमत हो सकेगा ।

(3) इस धारा के अधीन निपटारा कार्यवाहियों को, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार संचालित किया जाएगा ।

(4) इस धारा के अधीन, यथास्थिति, बोर्ड या न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध धारा 15न के अधीन कोई अपील नहीं होगी ।"।

धारा 15न का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 15न की उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ।

धारा 26 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ।

नई धारा 26क, धारा 26ख, धारा 26ग, धारा 26घ और धारा 26ङ, का अंतःस्थापन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 26 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"26क.(1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन अपराधों का शीघ्र विचारण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा, उतने विशेष न्यायालयों को, जितने आवश्यक हों, स्थापित या नामनिर्दिष्ट कर सकेगी । विशेष न्यायालयों की स्थापना किया जाना ।

(2) विशेष न्यायालय, ऐसे एकल न्यायाधीश से गठित होगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, जिसकी अधिकारिता के भीतर नियुक्त किया जाने वाला न्यायाधीश कार्यरत है, नियुक्त किया जाएगा ।

(3) कोई व्यक्ति किसी विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक वह ऐसी नियुक्ति से ठीक पूर्व, यथास्थिति, कोई सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश के पद को धारण नहीं करता है ।

1974 का 2

26ख. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 के प्रारंभ की तारीख से पूर्व या ऐसे प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् किए गए इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का, ऐसे क्षेत्र के लिए, जिसमें अपराध किया गया है, स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा या जहां ऐसे क्षेत्र के लिए एक से अधिक विशेष न्यायालय है, उनमें से ऐसे किसी एक द्वारा, जो इस निमित्त संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, संज्ञान लिया जाएगा और विचारण किया जाएगा । विशेष न्यायालयों द्वारा विचारणीय अपराध ।

1974 का 2

26ग. उच्च न्यायालय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 29 और अध्याय 30 द्वारा, उच्च न्यायालय को प्रदत्त सभी शक्तियों का, जहां तक लागू हो सके, उसी प्रकार प्रयोग कर सकेगा मानो उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई विशेष न्यायालय, उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर मामलों का विचारण करने वाला कोई सेशन न्यायालय था । अपील और पुनरीक्षण ।

1974 का 2

26घ.(1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध, विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे और उक्त उपबंधों के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय का, सेशन न्यायालय होना समझा जाएगा तथा विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाले व्यक्ति का, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खंड (प) के अर्थांतर्गत लोक अभियोजक होना समझा जाएगा । विशेष न्यायालयों के समक्ष कार्यवाहियों में संहिता का लागू होना ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभियोजन संचालित करने वाले व्यक्ति को, सात वर्ष से अन्यून के लिए अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय में होना चाहिए या विधि का विशेष ज्ञान की अपेक्षा करते हुए संघ या राज्य के अधीन सात वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए किसी पद को धारण करना चाहिए ।

26ङ. इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध का, जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय है, जब तक विशेष न्यायालय स्थापित न किया जाए, तब तक दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी क्षेत्र पर अधिकारिता का प्रयोग करने वाले सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाएगा और विचारण किया जाएगा : संक्रमणकालीन उपबंध ।

1974 का 2

परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, इस धारा के अधीन सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए गए किसी मामले या मामलों के वर्ग को अंतरित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 407 के अधीन उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित नहीं करेगी ।"।

1974 का 2

10. मूल अधिनियम की धारा 28 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 28क का अंतःस्थापन ।

'28क.(1) यदि कोई व्यक्ति न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति के संदाय में असफल रहता है या धन के प्रतिदाय के लिए बोर्ड के किसी निदेश का अनुपालन रकमों की वसूली ।

करने में असफल रहता है या धारा 11ख के अधीन जारी प्रत्यर्पण आदेश के निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है या बोर्ड को देय किन्हीं फीसों का संदाय करने में असफल रहता है तो वसूली अधिकारी, व्यक्ति से देय रकम विनिर्दिष्ट करते हुए, विनिर्दिष्ट प्ररूप में अपने लेख में एक कथन (ऐसे कथन को इस अध्याय में इसके पश्चात् प्रमाण-पत्र कहा गया है) तैयार कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति से प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रकम को निम्नलिखित एक या अधिक पद्धतियों से वसूल करने के लिए कार्यवाही करेगा, अर्थात् :—

(क) व्यक्ति की जंगम संपत्ति की कुर्की और विक्रय ;

(ख) व्यक्ति के बैंक खातों की कुर्की ;

(ग) व्यक्ति की स्थावर संपत्ति की कुर्की और विक्रय ;

(घ) व्यक्ति की गिरफ्तारी और कारागार में उसका निरोध ;

(ङ) व्यक्ति की जंगम और स्थावर संपत्तियों के प्रबंध के लिए प्रापक की नियुक्ति,

और इस प्रयोजन के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 221 से धारा 227, धारा 228क, धारा 229, धारा 232, दूसरी और तीसरी अनुसूचियों तथा समय-समय पर प्रवृत्त आय-कर (प्रमाणपत्र कार्यवाही) नियम, 1962 के उपबंध, जहां तक हो सके ऐसे आवश्यक उपांतरणों के साथ लागू हो सकेंगे मानो उक्त उपबंध और उसके अधीन बनाए गए नियम, इस अधिनियम के उपबंध थे और इस अधिनियम के अधीन देय रकम के प्रति, आयकर अधिनियम 1961 के अधीन आय-कर के स्थान पर निर्देश हैं। 1961 का 43

स्पष्टीकरण 1— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए व्यक्ति की जंगम या स्थावर संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन में, ऐसी कोई संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन सम्मिलित हैं, जो ऐसी तारीख को या उसके पश्चात्, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, अंतरित किए गए हैं, जब प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट कोई रकम, व्यक्ति द्वारा पर्याप्त प्रतिफल से भिन्न उसके पति या पत्नी या अप्राप्तवय बालक या पुत्र की पत्नी या पुत्र के अप्राप्तवय बालक को देय हो चुकी थी और जो पूर्वोक्त किन्हीं व्यक्तियों द्वारा धारित की गई है या उनके नाम पर है और जहां तक उसके अप्राप्तवय बालक या उसके पुत्र के अप्राप्तवय बालक को इस प्रकार अंतरित जंगम या स्थावर संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन का संबंध है वहां उसका, यथास्थिति, ऐसे अप्राप्तवय बालक या पुत्र के अप्राप्तवय बालक के व्यस्क होने की तारीख के पश्चात् भी इस अधिनियम के अधीन व्यक्ति से देय किसी रकम की वसूली करने के लिए व्यक्ति की जंगम या स्थावर संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन में सम्मिलित होना बना रहेगा ।

स्पष्टीकरण 2—आय-कर अधिनियम, 1961 की दूसरी और तीसरी अनुसूचियों और आय-कर (प्रमाणपत्र कार्यवाही) नियम, 1962 के उपबंधों के अधीन निर्धारिती के प्रति किसी निर्देश का, प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के बारे में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उसके प्रतिनिर्देश है । 1961 का 43

स्पष्टीकरण 3—आय-कर अधिनियम, 1961 के अध्याय 17 घ और दूसरी अनुसूची में अपील के प्रति किसी निदेश का, इस अधिनियम की धारा 15न के अधीन प्रतिभूति अपील अधिकरण के समक्ष अपील के बारे में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उसके प्रति निर्देश है। 1961 का 43

(2) वसूली अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय स्थानीय जिला प्रशासन की सहायता प्राप्त करने के लिए सशक्त होगा ।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, धारा 11ख के अधीन बोर्ड द्वारा जारी किसी निदेश के अननुपालन के अनुसरण में उपधारा (1) के अधीन किसी वसूली अधिकारी द्वारा रकमों की वसूली की, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी अन्य दावे पर अग्रता होगी ।

(4) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के प्रयोजन के लिए "वसूली अधिकारी" पद से बोर्ड का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसको लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाए ।

11. मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (2) में,— धारा 30 का संशोधन।

(i) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(गक) धारा 11 की उपधारा (5) के अधीन जमा की गई रकम का उपयोग किया जाना ;

(गख) धारा 11कक की उपधारा (2क) के अधीन सामूहिक विनिधान स्कीम से संबंधित अन्य शर्तों का पूरा किया जाना ;

(गग) धारा 11ग की उपधारा (9) के अधीन तलाशी और अभिग्रहण के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया ;" ;

(ii) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(घक) धारा 15ञख की उपधारा (2) के अधीन कार्यवाहियों के निपटारे के लिए बोर्ड द्वारा अवधारित निबंधन और उपधारा (3) के अधीन निपटारा कार्यवाहियों के संचालन के लिए प्रक्रिया ;

(घख) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसको विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है या विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा या जिसके संबंध में विनियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।" ।

12. मूल अधिनियम की धारा 34 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 34क का अंतःस्थापन।

"34क. बोर्ड के समरूप कृत्य करने वाले अन्य प्राधिकरणों से, चाहे वे भारत में हैं या भारत के बाहर हैं, जानकारी मांगने या जानकारी देने के संबंध में और प्रशासनिक तथा सिविल कार्यवाहियों के निपटान के संबंध में मूल अधिनियम के अधीन किया गया या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्य या कोई बात, सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य और प्रभावी समझी जाएगी मानो मूल अधिनियम में किए गए संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त रही हो।" । कतिपय अधिनियमों का विधिमान्यकरण।

अध्याय 3

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 का संशोधन

1956 का 42

13. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 12क में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 12क का संशोधन ।

"**स्पष्टीकरण**— शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के अधीन निदेशों को जारी करने की शक्ति में, किसी ऐसे व्यक्ति को, निदेश करने की शक्ति सम्मिलित होगी और सदैव उसका सम्मिलित होना समझा जाएगा, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उल्लंघन में, किसी संव्यवहार या क्रियाकलाप में लगकर, ऐसे उल्लंघन से कमाए गए सदोष अभिलाभ या टाली गई हानि के समान रकम का प्रत्यर्पण करने के लिए लाभ कमाता है या हानि को टालता है ।" ।

14. मूल अधिनियम की धारा 23ञ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी और उसको 20 अप्रैल, 2007 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :— नई धारा 23ञक का अंतःस्थापन ।

"23ञक.(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध कोई कार्यवाहियां धारा 12क या धारा 23झ के अधीन आरंभ की गई हैं या आरंभ की जा सकेंगी, अभिकथित व्यतिक्रमों के लिए आरंभ की गई या आरंभ की जाने वाली कार्यवाहियों के निपटारे का प्रस्ताव करने के लिए बोर्ड को लिखित में आवेदन फाइल कर सकेगा । प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा ।

(2) बोर्ड, व्यतिक्रमों की प्रकृति, गंभीरता और समाघात पर विचार करने के पश्चात्, व्यतिक्रमी द्वारा ऐसी राशि के संदाय पर या ऐसे अन्य निबंधनों पर, जो बोर्ड द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार अवधारित किए जाएं, निपटारे के लिए प्रस्ताव से सहमत हो सकेगा । 1992 का 15

(3) इस धारा के अधीन निपटारे के प्रयोजन के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बोर्ड द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रक्रिया लागू होगी । 1956 का 42

(4) इस धारा के अधीन, यथास्थिति, बोर्ड या न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध धारा 23ठ के अधीन कोई अपील नहीं होगी ।"।

नई धारा 23ञख का अंतःस्थापन ।

15. इस प्रकार अंतःस्थापित की गई, मूल अधिनियम की धारा 23ञक के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

रकमों की वसूली ।

"23ञख.(1) यदि कोई व्यक्ति न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति के संदाय में असफल रहता है या धन के प्रतिदाय के लिए बोर्ड के किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है या धारा 12क के अधीन जारी प्रत्यर्पण आदेश के निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है या बोर्ड को देय किन्हीं फीसों का संदाय करने में असफल रहता है तो वसूली अधिकारी, व्यक्ति से देय रकम विनिर्दिष्ट करते हुए, विनिर्दिष्ट प्ररूप में अपने लेख में एक कथन (ऐसे कथन को इस अध्याय में इसके पश्चात् प्रमाणपत्र कहा गया है) तैयार कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति से प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रकम को निम्नलिखित एक या अधिक पद्धतियों से वसूल करने के लिए कार्यवाही करेगा, अर्थात् :—

(क) व्यक्ति की जंगम संपत्ति की कुर्की और विक्रय ;

(ख) व्यक्ति के बैंक खातों की कुर्की ;

(ग) व्यक्ति की स्थावर संपत्ति की कुर्की और विक्रय ;

(घ) व्यक्ति की गिरफ्तारी और कारागार में उसका निरोध ;

(ङ) व्यक्ति की जंगम और स्थावर संपत्तियों के प्रबंध के लिए प्रापक की नियुक्ति,

और इस प्रयोजन के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 221 से धारा 227, धारा 228क, धारा 229, धारा 232, दूसरी और तीसरी अनुसूचियों तथा समय-समय पर प्रवृत्त आय-कर (प्रमाणपत्र कार्यवाही) नियम, 1962 के उपबंध, जहां तक हो सके ऐसे आवश्यक उपांतरणों के साथ लागू हो सकेंगे मानो उक्त उपबंध और उसके अधीन बनाए गए नियम, इस अधिनियम के उपबंध थे और इस अधिनियम के अधीन देय रकम के प्रति, आय-कर अधिनियम 1961 के अधीन आयकर के स्थान पर निर्देश हैं । 1961 का 43 1961 का 43

स्पष्टीकरण 1— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए व्यक्ति की जंगम या स्थावर संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन में, ऐसी कोई संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन सम्मिलित हैं, जो ऐसी तारीख को या उसके पश्चात्, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, अंतरित किए गए हैं, जब प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट कोई रकम, व्यक्ति द्वारा पर्याप्त प्रतिफल से भिन्न उसके पति या पत्नी या अप्राप्तवय बालक या पुत्र की पत्नी या पुत्र के अप्राप्तवय बालक को देय हो चुकी थी और जो पूर्वोक्त किन्हीं व्यक्तियों द्वारा धारित की गई है या उनके नाम पर है और जहां तक उसके अप्राप्तवय बालक या उसके पुत्र के अप्राप्तवय बालक को इस प्रकार अंतरित जंगम या स्थावर संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन का संबंध है वहां उसका, यथास्थिति, ऐसे अप्राप्तवय बालक या पुत्र के अप्राप्तवय बालक के व्यस्क होने की तारीख के पश्चात् भी इस अधिनियम के अधीन व्यक्ति से देय किसी रकम की वसूली करने के लिए व्यक्ति की जंगम या स्थावर संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन में सम्मिलित होना बना रहेगा ।

1961 का 43 **स्पष्टीकरण 2**—आय-कर अधिनियम, 1961 की दूसरी और तीसरी अनुसूचियों और आय-कर (प्रमाणपत्र कार्यवाही) नियम, 1962 के उपबंधों के अधीन निर्धारिती के प्रति किसी निर्देश का, प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के बारे में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उसके प्रतिनिर्देश है ।

1961 का 43 **स्पष्टीकरण 3—आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय 17 घ और दूसरी अनुसूची में अपील के प्रति किसी निदेश का, इस अधिनियम की धारा 23ठ के अधीन प्रतिभूति अपील अधिकरण के समक्ष अपील के बारे में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उसके प्रति निर्देश है।**

(2) वसूली अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय स्थानीय जिला प्रशासन की सहायता प्राप्त करने के लिए सशक्त होगा ।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, धारा 12क के अधीन बोर्ड द्वारा जारी किसी निदेश के अननुपालन के अनुसरण में उपधारा (1) के अधीन किसी वसूली अधिकारी द्वारा रकमों की वसूली की, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी अन्य दावे पर अग्रता होगी ।

(4) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए "वसूली अधिकारी" पद से बोर्ड का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसको लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाए ।

धारा 26 का संशोधन ।

16. मूल अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) का **लोप किया जाएगा** ।

नई धारा 26क, धारा 26ख, धारा 26ग, धारा 26घ और धारा 26ङ का अंतःस्थापन ।

17. मूल अधिनियम की धारा 26 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

विशेष न्यायालयों की स्थापना किया जाना ।

"26क.(1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन अपराधों का शीघ्र विचारण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उतने विशेष न्यायालयों को, जितने आवश्यक हों, स्थापित या नामनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

(2) विशेष न्यायालय, ऐसे एकल न्यायाधीश से गठित होगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, जिसकी अधिकारिता के भीतर नियुक्त किया जाने वाला न्यायाधीश कार्यरत है, नियुक्त किया जाएगा ।

(3) कोई व्यक्ति किसी विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक वह ऐसी नियुक्ति से ठीक पूर्व, यथास्थिति, कोई सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश के पद को धारण नहीं करता है ।

1974 का 2 विशेष न्यायालयों द्वारा विचारणीय अपराध ।

26ख. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, प्रतिभूति विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रारंभ की तारीख से पूर्व या ऐसे प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् किए गए इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का, ऐसे क्षेत्र के लिए, जिसमें अपराध किया गया है, स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा या जहां ऐसे क्षेत्र के लिए एक से अधिक विशेष न्यायालय है, उनमें से ऐसे किसी एक द्वारा, जो इस निमित्त संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, संज्ञान लिया जाएगा और विचारण किया जाएगा ।

1974 का 2 अपील और पुनरीक्षण ।

26ग. उच्च न्यायालय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 29 और अध्याय 30 द्वारा, उच्च न्यायालय को प्रदत्त सभी शक्तियों का, जहां तक लागू हो सकें, उसी प्रकार प्रयोग कर सकेगा मानो उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई विशेष न्यायालय, उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर मामलों का विचारण करने वाला कोई सेशन न्यायालय था ।

विशेष न्यायालयों के समक्ष कार्यवाहियों में संहिता का लागू होना ।

26घ.(1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध, विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे और उक्त उपबंधों के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय का, सेशन न्यायालय होना समझा जाएगा तथा विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाले व्यक्ति का, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खंड (प) के अर्थांतर्गत लोक अभियोजक होना समझा जाएगा । 1974का 2

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभियोजन संचालित करने वाले व्यक्ति को, सात वर्ष से अन्यून के लिए अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय में होना चाहिए या विधि का विशेष ज्ञान की अपेक्षा करते हुए संघ या राज्य के अधीन सात वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए किसी पद को धारण करना चाहिए ।

संक्रमणकालीन उपबंध ।

26ङ. इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध का, जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय है, जब तक विशेष न्यायालय स्थापित न किया जाए, तब तक दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी क्षेत्र पर अधिकारिता का प्रयोग करने वाले सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाएगा और विचारण किया जाएगा : 1974का 2

परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, इस धारा के अधीन सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए गए किसी मामले या मामलों के वर्ग को अंतरित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 407 के अधीन उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित नहीं करेगी ।"। 1974 का 22

नई धारा 32 का अंतःस्थापन।

18. मूल अधिनियम की धारा 31 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

कतिपय अधिनियमों का विधिमान्य करना।

"32. प्रशासनिक तथा सिविल कार्यवाहियों के निपटान के संबंध में मूल अधिनियम के अधीन किया गया या किए जाने के लिए तत्पर्यित कोई कार्य या कोई बात, सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य और प्रभावी समझी जाएगी मानो मूल अधिनियम में किए गए संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त रही हो।"।

अध्याय 4

निक्षेपागार अधिनियम, 1996 का संशोधन

धारा 19 का संशोधन ।

19. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 19 में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 1996 का 22

"**स्पष्टीकरण**— शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के अधीन निदेशों को जारी करने की शक्ति में, किसी ऐसे व्यक्ति को, निदेश करने की शक्ति सम्मिलित होगी और सदैव उसका सम्मिलित होना समझा जाएगा, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उल्लंघन में, किसी संव्यवहार या क्रियाकलाप में लगकर, ऐसे उल्लंघन से कमाए गए सदोष अभिलाभ या टाली गई हानि के समान रकम का प्रत्यर्पण करने के लिए लाभ कमाता है या हानि को टालता है ।" ।

नई धारा 19झक का अंतःस्थापन ।

20. मूल अधिनियम की धारा 19झ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी और उसको 20 अप्रैल, 2007 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा ।

"19झक.(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध कोई कार्यवाहियां, यथास्थिति, धारा 19 या धारा 19ज के अधीन आरंभ की गई हैं या आरंभ की जा सकेंगी, अभिकथित व्यतिक्रमों के लिए आरंभ की गई या आरंभ की जाने वाली कार्यवाहियों के निपटारे का प्रस्ताव करने के लिए बोर्ड को लिखित में आवेदन फाइल कर सकेगा ।

(2) बोर्ड, व्यतिक्रमों की प्रकृति, गंभीरता और समाघात पर विचार करने के पश्चात्, व्यतिक्रमी द्वारा ऐसी राशि के संदाय पर या ऐसे अन्य निबंधनों पर, जो बोर्ड द्वारा भारतीय

1992 का 15 प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार अवधारित किए जाएं, निपटारे के लिए प्रस्ताव से सहमत हो सकेगा ।

(3) इस धारा के अधीन निपटारे के प्रयोजन के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय
1992 का 15 बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बोर्ड द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रक्रिया लागू होगी ।

5 (4) इस धारा के अधीन बोर्ड या न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध धारा 23क के अधीन कोई अपील नहीं होगी ।"।

नई धारा 19झख का अंतःस्थापन ।

21. इस प्रकार अंतःस्थापित की गई, मूल अधिनियम की धारा 19झक के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

रकमों की वसूली ।

"19झख.(1) यदि कोई व्यक्ति न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति के
10 संदाय में असफल रहता है या धन के प्रतिदाय के लिए बोर्ड के किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है या धारा 19 के अधीन जारी प्रत्यर्पण आदेश के निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है या बोर्ड को देय किन्हीं फीसों का संदाय करने में असफल रहता है तो वसूली अधिकारी, व्यक्ति से देय रकम विनिर्दिष्ट करते हुए, विनिर्दिष्ट प्ररूप में अपने लेख में एक कथन (ऐसे कथन को इस अध्याय में इसके पश्चात् प्रमाणपत्र
15 कहा गया है) तैयार कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति से प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रकम को निम्नलिखित एक या अधिक पद्धतियों से वसूल करने के लिए कार्यवाही करेगा, अर्थात् :—

(क) व्यक्ति की जंगम संपत्ति की कुर्की और विक्रय ;

(ख) व्यक्ति के बैंक खातों की कुर्की ;

(ग) व्यक्ति की स्थावर संपत्ति की कुर्की और विक्रय ;

20 (घ) व्यक्ति की गिरफ्तारी और कारागार में उसका निरोध ;

(ङ) व्यक्ति की जंगम और स्थावर संपत्तियों के प्रबंध के लिए प्रापक की नियुक्ति,

1961 का 43 और इस प्रयोजन के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 221 से धारा 227, धारा 228क, धारा 229, धारा 232, दूसरी और तीसरी अनुसूचियों तथा समय-समय पर प्रवृत्त
25 आय-कर (प्रमाणपत्र कार्यवाही) नियम, 1962 के उपबंध, जहां तक हो सके ऐसे आवश्यक उपांतरणों के साथ लागू हो सकेंगे मानो उक्त उपबंध और उसके अधीन बनाए गए नियम, इस अधिनियम के उपबंध थे और इस अधिनियम के अधीन देय रकम के प्रति, आय-कर अधिनियम,
1961 का 43 1961 के अधीन आय-कर के स्थान पर निर्देश हैं ।

स्पष्टीकरण 1— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए व्यक्ति की जंगम या स्थावर
30 संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन में, ऐसी कोई संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन सम्मिलित हैं, जो ऐसी तारीख को या उसके पश्चात्, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, अंतरित किए गए हैं, जब प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट कोई रकम, व्यक्ति द्वारा पर्याप्त प्रतिफल से भिन्न उसके पति या पत्नी या अप्राप्तवय बालक या पुत्र की पत्नी या पुत्र के अप्राप्तवय बालक को देय हो चुकी थी और जो पूर्वोक्त किन्हीं व्यक्तियों द्वारा धारित की गई है या उनके
35 नाम पर है और जहां तक उसके अप्राप्तवय बालक या उसके पुत्र के अप्राप्तवय बालक को इस प्रकार अंतरित जंगम या स्थावर संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन का संबंध है वहां उसका, यथास्थिति, ऐसे अप्राप्तवय बालक या पुत्र के अप्राप्तवय बालक के व्यस्क होने की तारीख के पश्चात् भी इस अधिनियम के अधीन व्यक्ति से देय किसी रकम की वसूली करने के लिए व्यक्ति की जंगम या स्थावर संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन में
40 सम्मिलित होना बना रहेगा ।

स्पष्टीकरण 2—आय-कर अधिनियम, 1961 की दूसरी और तीसरी अनुसूचियों और आयकर (प्रमाणपत्र कार्यवाही) नियम, 1962 के उपबंधों के अधीन निर्धारिती के प्रति किसी निर्देश का, प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के बारे में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उसके प्रतिनिर्देश है ।

स्पष्टीकरण 3—आय-कर अधिनियम, 1961 के अध्याय 17 घ और दूसरी अनुसूची में अपील के प्रति निदेश का, इस अधिनियम की धारा 23क के अधीन प्रतिभूति अपील अधिकरण के समक्ष अपील के बारे में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उसके प्रति निर्देश है। 5 1961 का 43

(2) वसूली अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय स्थानीय जिला प्रशासन की सहायता प्राप्त करने के लिए सशक्त होगा ।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, धारा 19 के अधीन बोर्ड द्वारा जारी किसी निदेश के अननुपालन के अनुसरण में उपधारा (1) के अधीन किसी वसूली अधिकारी द्वारा रकमों की वसूली की, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी अन्य दावे पर अग्रता होगी । 10

(4) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के प्रयोजन के लिए "वसूली अधिकारी" पद से बोर्ड का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसको लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाए । 15

धारा 22 का संशोधन।

22. मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ।

नई धारा 22ग, धारा 22घ, धारा 22ङ, धारा 22च, और धारा 22छ का अंतःस्थापन ।

23. मूल अधिनियम की धारा 22ख के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :— 20

विशेष न्यायालयों की स्थापना किया जाना ।

"22ग.(1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन अपराधों का शीघ्र विचारण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उतने विशेष न्यायालयों को, जितने आवश्यक हों, स्थापित या नामनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

(2) विशेष न्यायालय, ऐसे एकल न्यायाधीश से गठित होगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, जिसकी अधिकारिता के भीतर नियुक्त किया जाने वाला न्यायाधीश कार्यरत है, नियुक्त किया जाएगा । 25

(3) कोई व्यक्ति किसी विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक वह ऐसी नियुक्ति से ठीक पूर्व, यथास्थिति, कोई सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश के पद को धारण नहीं करता है । 30

विशेष न्यायालयों द्वारा विचारणीय अपराध ।

22घ. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, प्रतिभूति विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रारंभ की तारीख से पूर्व या ऐसे प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् किए गए इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का, ऐसे क्षेत्र के लिए, जिसमें अपराध किया गया है, स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा या जहां ऐसे क्षेत्र के लिए एक से अधिक विशेष न्यायालय है, उनमें से ऐसे किसी एक द्वारा, जो इस निमित्त संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, संज्ञान लिया जाएगा और विचारण किया जाएगा । 1974 का 2 35

1974 का 2

22ङ. उच्च न्यायालय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 29 और अध्याय 30 द्वारा, उच्च न्यायालय को प्रदत्त सभी शक्तियों का, जहां तक लागू हो सकें, उसी प्रकार प्रयोग कर सकेगा मानो उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई विशेष न्यायालय, उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर मामलों का विचारण करने वाला कोई सेशन न्यायालय था । अपील और पुनरीक्षण ।

1974 का 2

22च. (1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध, विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे और उक्त उपबंधों के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय का, सेशन न्यायालय होना समझा जाएगा तथा विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाले व्यक्ति का, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खंड (प) के अर्थांतर्गत लोक अभियोजक होना समझा जाएगा । विशेष न्यायालयों के समक्ष कार्यवाहियों में संहिता का लागू होना ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभियोजन संचालित करने वाले व्यक्ति को, सात वर्ष से अन्यून के लिए अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय में होना चाहिए या विधि का विशेष ज्ञान की अपेक्षा करते हुए संघ या राज्य के अधीन सात वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए किसी पद को धारण करना चाहिए ।

22छ. इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध का, जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय है, जब तक विशेष न्यायालय स्थापित न किया जाए, तब तक दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी क्षेत्र पर अधिकारिता का प्रयोग करने वाले सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाएगा और विचारण किया जाएगा : संक्रमणकालीन उपबंध ।

1974 का 2

परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, इस धारा के अधीन सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए गए किसी मामले या मामलों के वर्ग को अंतरित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 407 के अधीन उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित नहीं करेगी ।" ।

1974 का 2

24. मूल अधिनियम की धारा 23क की उपधारा (2) का लोप किया जाएगा । धारा 23क का संशोधन।

25. मूल अधिनियम की धारा 30 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 30क का अंतःस्थापन।

"30क. प्रशासनिक तथा सिविल कार्यवाहियों के निपटान के संबंध में मूल अधिनियम के अधीन किया गया या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्य या कोई बात, सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य और प्रभावी समझी जाएगी मानो मूल अधिनियम में किए गए संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त रही हो ।" । कतिपय अधिनियमों का विधिमान्यकरण।

26. (1) प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। 2013 का अध्यादेश सं. 8

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) प्रतिभूति बाजार में विनिधानकर्ताओं के हितों का संरक्षण करने, प्रतिभूति बाजार के विकास का संवर्धन और विनियमन करने के उद्देश्य से, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (बोर्ड) की स्थापना के लिए तथा उससे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियमित किया गया था।

2. प्रतिभूति बाजार की प्रकृत्ति और ऐसी परिस्थिति, जिसमें यह प्रवृत्त होता है, गतिशील है और उसको शासित करने वाली विधियों को बाजार आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाना पड़ेगा। बोर्ड के माध्यम से प्रतिभूति बाजार के शासन ने समय की चुनौतियों का सामना किया है जिसके अंतर्गत न्यायिक संवीक्षा भी है। तथापि, वर्षों के अनुभव पर आधारित प्रतिभूति बाजार से संबंधित विधियों के क्रमिक विकास को सुनिश्चित करते समय प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए विनियमात्मक उपबंधों को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

3. विनिधानकर्ताओं के हितों को सुरक्षित करने के लिए और प्रतिभूति बाजारों के क्रमिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियों को बढ़ाना आवश्यक हो गया है - (क) न केवल प्रतिभूति बाजार से जुड़े लोगों और इकाइयों से बल्कि ऐसे व्यक्तियों से भी जो प्रतिभूति बाजार से सीधे रूप से जुड़े नहीं है, जानकारी मांगना; (ख) ऐसे मामलों में जहां विनिधानकर्ताओं से प्राप्त धन का कपटपूर्वक दुरुपयोग किया गया है वहां विनिधानकर्ताओं के प्रभावी संरक्षण के लिए उपबंध करना; और (ग) सामूहिक विनिधान स्कीम को मानीटर करना और यह सुनिश्चित करना कि ऐसी स्कीमें जो भोले-भाले विनिधानकर्ताओं के व्यय पर सफल हो रही है उनको नियंत्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त मामलों के अधिक लंबन की दृष्टि से शीघ्र विचारण का उपबंध करने के लिए प्रतिभूति विधियों के अधीन अपराधों के अभियोजन के लिए विशेष न्यायालयों का गठन किया जाना आवश्यक है।

4. चूंकि संसद् सत्र में नहीं थी और राष्ट्रपति का यह समाधान हो गया था कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 तथा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 में आवश्यक संशोधनों को करने के लिए शीघ्र कार्रवाई अपेक्षित थी जिससे अविधिमान्य निक्षेप प्राप्त करने वाली स्कीमों के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ करने के लिए बोर्ड को समर्थ बनाया जा सके, अत: प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक 8) को 18 जुलाई, 2013 को प्रख्यापित किया गया था।

5. प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक, 2013 जो अन्य बातों के साथ, प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 को प्रतिस्थापित करता है, निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है, अर्थात्:—

(क) किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित किसी बैंक या कोई अन्य प्राधिकरण या बोर्ड या निगम सहित, किसी व्यक्ति से ऐसी सूचना और अभिलेख मंगाने के लिए, जो बोर्ड की राय में ऐसी प्रतिभूतियों में किसी संव्यवहार की बाबत बोर्ड द्वारा किसी अन्वेषण या जांच के लिए सुसंगत होगा, बोर्ड को सशक्त करते हुए सेबी अधिनियम की धारा 11 का संशोधन करना;

(ख) सेबी अधिनियम की धारा 11 की नई उपधारा (5) में यह उपबंध करने के लिए अंत:स्थापित करना कि, यथास्थिति, इस अधिनियम की धारा 11ख के अधीन या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 को धारा 12क या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 19 के अधीन जारी निदेश के अनुसरण में प्रत्यर्पित रकम को, बोर्ड द्वारा स्थापित विनिधानकर्त्ता संरक्षण और शिक्षा निधि में जमा किया जाएगा;

(ग) सेबी अधिनियम की धारा 11कक का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करना कि किसी स्कीम या ठहराव के अधीन निधियों का पूल किया जाना, जो बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है या इस ध्याारा के अधीन समाविष्ट नहीं है, जिसमें एक सौ करोड़ रुपए या अधिक की समग्र रकम अंतर्वलित है, सामूहिक विनिधान स्कीम होना समझाा जाएगा;

(घ) अधिनियम की धारा 11ग का संशोधन करना जिससे भवन, स्थान में प्रवेश करने और तलाशी लेने के लिए और ऐसी तलाशी के परिणामस्वरूप पाए जाने वाले लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों का अभिग्रहण करने के लिए अन्वेषण प्राधिकारियों या बोर्ड के किसी अधिकारी को प्राधिकृत करने के लिए बोर्ड के अध्यक्ष को सशक्त किया जा सके;

(ङ) नई धारा ञख का अंत:स्थापन करना जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध कोई कार्यवाहियां, धारा 11, धारा 11 ख, धारा 11घ, धारा 12 या धारा 15झ के अधीन आरंभ की गई हैं, कार्यवाहियों के निपटाने के लिए बोर्ड के समक्ष आवेदन कर सकेगा जो सेबी अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार संचालित किया जाएगा;

(च) सेबी अधिनियम के अधीन अपराधों के शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए ''विशेष न्यायालयों'' की स्थापना करना;

(छ) नई धारा 28 क का अंत:स्थापन करना जिससे ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जो धन के प्रतिदाय के लिए बोर्ड के किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है या धारा 11ख के अधीन जारी प्रत्यार्पण आदेश के किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है या बोर्ड को देय किन्हीं फीसों का संदाय करने में असफल रहता है, धन की वसूली करने के लिए वसूली अधिकारी को सशक्त किया जा सके।

6. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 में किए गए संशोधनों के समान आधारों पर प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 में कतिपय संशोधन करना भी आवश्यक हो गया है।

7. विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए है।

नई दिल्ली;
5 अगस्त, 2013

पी॰ चिदंबरम

खंडों पर टिप्पण

खंड 2—यह खंड, भारतीय प्रतिभूमि और विनिमय बोर्ड के कृत्यों से संबंधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम, 1992) की धारा 11 का संशोधन करता है। यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को ऐसी प्रतिभूतियों जिनमें उक्त बोर्ड द्वारा अन्वेषण या जांच की आवश्यकता होती है, में किन्हीं संव्यवहार के संबंध में किसी व्यक्ति से जानकारी और अवलेख मंगाने के लिए समर्थ करने हेतु उक्त धारा की उपधारा (2) में खंड (iक) का संशोधन करना प्रस्तावित करता है। यह 6 मार्च, 1998 से उक्त धारा की उपधारा (2) में खंड (iख) को अंत:स्थापित करने के लिए प्रस्तावित करता है जिससे प्रतिभूतियों के संबंध में उल्लंघन के लिए निवारण, निरोध, कार्यान्वयन और अन्वेषण से संबंधित विषयों में बोर्ड के समरूप कृत्यों को करने वाले अन्य विनियामक जो भारत के बाहर हैं, से जानकारी अभिप्राप्त करने या प्रस्तुत करने के लिए बोर्ड को स्पष्ट रूप से सशक्त किया जा सके। तथापि, भारत के बाहर किसी प्राधिकरण को कोई जानकारी देने के प्रयोजन के लिए एक समझौता ज्ञापन को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से बोर्ड और विदेशी विनियामकों के मद्दे हस्ताक्षरित होगा। उक्त धारा में नई उपधारा (5) अंत:स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया गया है जो यह उपबंध करती है कि यथास्थिति, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 11ख या धारा 12क या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 19 के अधीन जारी निदेश के अनुसरण में प्रत्यर्पित रकम को, बोर्ड द्वारा स्थापित विनिधानकर्त्ता संरक्षण और शिक्षा निधि में जमा किया जाएगा।

खंड 3—यह खंड, सामूहिक विनिधान स्कीमों के विनियम से संबंधित सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11कक का संशोधन करता है। यह उक्त खंड की उपधारा (1) में परंतुक को अंत:स्थापित करना प्रस्तावित करता है जो यह उपबंध करता है कि किसी स्कीम या ठहराव के अधीन निधियों का पूल किया जाना, जो उक्त धारा की उपधारा (3) द्वारा अपवर्जित नहीं किया गया है और जो बोर्ड के पास रजिस्ट्रकृत नहीं किया गया है जिसमें एक सौ करोड़ रुपए या अधिक की समग्र रकम अंतर्वलित है, सामूहिक विनिधान स्कीम होना समझा जाएगा। उक्त खंड की उपधारा (2) को यह स्पष्ट करते हुए संशोधित करना और प्रस्तावित किया गया है कि किसी स्कीम या किसी व्यक्ति द्वारा किया गया ठहराव सामूहिक विनिधान स्कीम के अधीन आएगा। इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार विनिर्दिष्ट की जाने वाली शर्तों का समाधान करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा बनाई गई या प्रस्थापित की गई कोई स्कीम या ठहराव। उक्त खंड में उपधारा (2क) को अंत:स्थापित करना प्रस्तावित किया गया है जिससे सामूहिक विनिधाम स्कीम को गठित करने संबंधी अतिरिक्त स्वतंत्र मानदंडों को विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करने के लिए बोर्ड को सशक्त किया जा सके। उक्त खंड की उपधारा (3) में नए खंड (ix) को अंत:स्थापित करना भी प्रस्तावित किया गया है जिससे सामूहिक विनिधान स्कीमों की परिधि के अधीन आने से किसी स्कीम या ठहराव को, बोर्ड के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा अपवर्जित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त किया जा सके। उपधारा (1) में अंत:स्थापित कि गए समझे जाने वाले उपबंधों की दृष्टि से यह सुनिश्चित करना प्रस्तावित किया गया है कि ऐसे धन पूल किए जाने वाले क्रियाकलाप, जिनको अन्यथा कुछ अन्य प्राधिकरण या विनियामकों द्वारा विनियमित किया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे विनियामक रूप से परस्पर व्याप्त नहीं है, सामूहिक विनिधान स्कीमों की परिधि के अधीन नहीं आते हैं।

खंड 4—यह खंड, निदेश जारी करने की शक्ति से संबंधित सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11ख का संशोधन करता है। उक्त खंड में यह स्पष्ट करने के लिए स्पष्टीकरण का अंत:स्थापित किया जाना प्रस्तावित करता है कि बोर्ड के पास इस धारा के अधीन प्रत्यर्पित आदेशों को जारी करने की शक्ति थी और सर्दव उसका होना समझा जाएगा।

खंड 5—यह खंड, अन्वेषण से संबंधित सेबी अधिनियम की धारा 11ग का संशोधन करने के लिए है। यह, तलाशी और अभिग्रहण करने के लिए उक्त धारा 11ग की उपधारा (8) और उपधारा (9) को प्रस्थापित करने तथा उपधारा (10) का संशोधन करना प्रस्तावित करता है।

खंड 6—यह खंड, 20 अप्रैल, 2007 से प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों के निपटारे से संबंधित सेबी अधिनियम, 1992 में नई धारा 15ञक को अंत:स्थापित करता है। उक्त खंड, बोर्ड द्वारा विरचित विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुसार अवधारित की गई रकमों के संदाय पर और अन्य निबंधनों पर प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों के निपटारे के लिए बोर्ड को स्पष्ट रूप से सशक्त करता है।

खंड 7—यह खंड, सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 15न की उपधारा (2) को लोप करता है क्योंकि प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों के निपटान के लिए एक नया उपबंध, खंड 6 में अंत:स्थापित किया गया है।

खंड 8—यह खंड, सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 26 की उपधारा (2) को लोप करता है क्योंकि अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों के गठन के लिए एक नया उपबंध खंड 9 में अंत:स्थापित किया गया है।

खंड 9—यह खंड, सेबी अधिनियम, 1992 में नई धारा 26क से धारा 26ङ का अंत:स्थापन करता है जो अपराधनों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना से संबंधित है। नई धारा 26क का अंत:स्थापन किया जाना प्रस्तावित किया जाता है जो ऐसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, जिसकी अधिकारिता के भीतर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष न्यायालय की स्थापना के लिए उपबंध करता है। यह, यह और उपबंध करता है कि विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति ऐसा होगा जो ऐसी नियुक्ति से ठीक पूर्व सेशन न्यायाधीश या कोई अपर सेशन न्यायाधीश था। यह, एक नई धारा 26ख को अंत:स्थापित करने के लिए भी प्रस्तावित करती है जो यह उपबंध करती है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध जो प्रतिभूति विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रारंभ की तारीख से पूर्व या ऐसे प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् किए गए हैं, उन पर केवल विशेष न्यायालयों द्वारा संज्ञान लिया जाएगा और विचारण किया जाएगा। नई धारा 26ग का अंत:स्थापन किया जाना भी प्रस्तावित किया गया है जो अपील और पुनरीक्षण से संबंधित है। यह भी उपबंध किया गया है कि उच्च न्यायालयों को अपील या पुनरीक्षण की शक्ति होगी यदि विशेष न्यायालय, उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर विचारण करने वाले सेशन न्यायालय थे। एक नई धारा 26घ का अंत:स्थापन किया जाना भी प्रस्तावित किया गया है जो यह उपबंध करता है कि विशेष न्यायालय का, सेशन न्यायालय होना समझा जाएगा और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध विशेष न्यायालय को लागू होंगे तथा विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाला व्यक्ति, लोक अभियोजक समझा जाएगा। एक नई धारा 26ङ का अंत:स्थापन किया जाना भी प्रस्तावित किया गया है। जो यह उपबंध करता है कि जब तक ऐसे विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएं, विद्यमान सेशन न्यायालय, अधिकारिता का प्रयोग करना जारी रखेंगे। तथापि, इससे मामला हस्तांतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्तियां प्रभावित नहीं होंगी।

खंड 10—यह खंड, रकमों की वसूली से संबंधित सेबी अधिनियम, 1992 में नई धारा 28क को अंत:स्थापित करता है। यह खंड अन्य बातों के साथ बोर्ड को व्यतिक्रमियों की जंगम और स्थावर संपत्ति को किसी न्यायालय में जाए बिना, कुर्क और विक्रय करने के लिए तथा व्यतिक्रमियों के बैंक खातों को कुर्क करने के लिए यदि सशक्त करता है यदि कोई व्यक्ति न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति के संदाय में असफल होता है या वह धन के प्रतिदाय के लिए बोर्ड के किसी निदेश का अनुपालन में असफल होता है या धारा 11ख के अधीन जारी प्रत्यर्पित आदेश के निदेश के अनुपालन में असफल होता है या बोर्ड को देय किसी फीस के संदाय में असफल होता है।

खंड 11—यह खंड, विनियम बनाने के शक्ति से संबंधित सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 30 का संशोधन करता है। यह, उक्त धारा की उपधारा (2) का संशोधन करना प्रस्तावित करता है जिससे धारा 11 की उपधारा (5) के अधीन प्रत्यय धन के उपयोग से संबंधित विषयों में विनियम बनाने के लिए; धारा 11कक की उपधारा (2क) के अधीन सामूहिक विनिधान स्कीम से संबंधित अन्य शर्तों को पूरा करने के लिए; धारा 11क की उपधारा (9) के अधीन तलाशी और अभिग्रहण के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया; 15ञख की उपधारा (2) के अधीन कार्रवाईयों के निपटान के लिए बोर्ड द्वारा अवधारित निबंधन और उपधारा (3) के अधीन निपटारा कार्रवाईयों के संचालन के लिए प्रक्रिया; और कोई अन्य विषय जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने के लिए अपेक्षित है या अपेक्षित किया जाए या ऐसा कोई अन्य विषय जिसके संबंध में विनियम बनाए जाए।

खंड 12—यह खंड, कतिपय अधिनियमों के विधिमान्यकरण के लिए सेबी अधिनियम, 1992 में नई धारा अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव करता है।

खंड 13—यह खंड, निदेश जारी करने की शक्ति से संबंधित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआर अधिनियम, 1956)की धारा 12 का संशोधन करता है। यह उक्त धारा में यह स्पष्ट करने के लिए स्पष्टीकरण अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव करता है कि बोर्ड द्वारा विरचित विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के

अनुसार यथा अवधारित रकमों के संदाय पर या अन्य निबंधनों पर एससीआर अधिनियम, 1956 के अधीन प्रशासनिक और सिविल कार्रवाईयों के निपटान के लिए बोर्ड को सशक्त करने के लिए बोर्ड उस धारा के अधीन प्रत्यर्पित आदेशों को जारी करने की शक्ति रखता था और उसका रखा जाना सदैव समझा जाएगा।

खंड 14—यह खंड, 20 अप्रैल, 2007 से प्रशासनिक और सिविल कार्रवाईयों के निपटान से संबंधित एससीआर अधिनियम, 1956 में एक नई धारा 23ञक को अंत:स्थापित करता है। यह खंड बोर्ड द्वारा विरचित विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार यथा अवधारित ऐसे रकमों के संदाय पर या अन्य निबंधनों पर प्रशासनिक और सिविल काईवाईयों का निपटान करने के लिए बोर्ड को सशक्त करता है।

खंड 15—यह खंड, रकमों की वसूली से संबंधित एससीआर अधिनियम, 1956 में एक नई धारा 23ञख को अंत:स्थापित करता है। यह खंड अन्य बातों के साथ बोर्ड को व्यतिक्रमियों की जंगम और स्थावर संपत्ति को किसी न्यायालय में जाए बिना, कुर्क और विक्रय करने के लिए तथा व्यतिक्रमियों के बैंक खातों को कुर्क करने के लिए यदि सशक्त करता है यदि कोई व्यक्ति न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति के संदाय में असफल होता है या वह धन के प्रतिदाय के लिए बोर्ड के किसी निदेश का अनुपालन में असफल होता है या धारा 12क के अधीन जारी प्रत्यर्पित आदेश के निदेश के अनुपालन में असफल होता है या बोर्ड को देय किसी फीस के संदाय में असफल होता है।

खंड 16—यह खंड, एससीआर अधिनियम, 1956 की धारा 26 की उपधारा (2) का लोप करता है क्योंकि अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों के गठन के लिए एक नया उपबंध, खंड 17 में अंत:स्थापित किया गया है।

खंड 17—यह खंड एससीआर अधिनियम, 1956 में नई धारा 26क से धारा 26ङ का अंत:स्थापन करता है जो अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना से संबंधित है। नई धारा 26क का अंत:स्थापन किया जाना प्रस्तावित किया जाता है जो ऐसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, जिसकी अधिकारिता के भीतर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष न्यायालय की स्थापना के लिए उपबंध करता है। यह, यह और उपबंध करता है कि विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति ऐसा होगा जो ऐसी नियुक्ति के ठीक पूर्व सेशन न्यायाधीश या कोई अपर सेशन न्यायाधीश था, यह एक नई धारा 26ख को अंत:स्थापित करने के लिए भी प्रस्तावित करती है जो यह उपबंध करती है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध जो प्रतिभूति विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रारंभ की तारीख से पूर्व या ऐसे प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् किए गए हैं, उन पर केवल विशेष न्यायालयों द्वारा संज्ञान लिया जाएगा और विचारण किया जाएगा। नई धारा 26ग का अंत:स्थापना किया जाना भी प्रस्तावित किया गया है जो अपील और पुनरीक्षण से संबंधित है। यह भी उपबंध किया गया है कि उच्च न्यायालयों को अपील या पुनरीक्षण की शक्ति होगी यदि विशेष न्यायालय, उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर विचारण करने वाले सेशन न्यायालय थे। एक नई धारा 26घ का अंत:स्थापना किया जाना भी प्रस्तावित किया गया है जो यह उपबंध करता है कि विशेष न्यायालय का, सेशन न्यायालय होना समझा जाएगा और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध विशेष न्यायालय को लागू होंगे तथा विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाला व्यक्ति, लोक अभियोजक समझा जाएगा। एक नई धारा 26ङ का अंत:स्थापन किया जाना भी प्रस्तावित किया गया है जो यह उपबंध करता है कि जब तक ऐसे विशेष न्यायालय स्थापित जाएं, विद्यमान सेशन न्यायालय, अधिकारिता का प्रयोग करना जारी रखेंगे। तथापि, इससे मामला हस्तांतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्तियां प्रभावित नहीं होंगी।

खंड 18—यह खंड, कतिपय अधिनियमों के विधिमान्यकरण के लिए एससीआर अधिनियम, 1956 में नई धारा अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव करता है।

खंड 19—यह खंड, निदेश जारी करने की शक्ति से संबंधित निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 19 का संशोधन करता है। यह उक्त धारा में यह स्पष्ट करने के लिए स्पष्टीकरण अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव करता है कि बोर्ड द्वारा विरचित विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार यथा अवधारित रकमों के संदाय पर या अन्य निबंधनों पर निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के अधीन प्रशासनिक और सिविल कार्रवाईयों के निपटान के लिए बोर्ड को सशक्त करने के लिए बोर्ड उस धारा के अधीन प्रत्यर्पित आदेशों को जारी करने की शक्ति रखता था और उसका रखा जाना सदैव समझा जाएगा।

खंड 20—यह खंड, 20 अप्रैल, 2007 से प्रशासनिक और सिविल कार्रवाईयों के निपटान से संबंधित निक्षेपागार अधिनियम, 1996 में एक नई धारा 19झक को अंत:स्थापित करता है। यह खंड बोर्ड द्वारा विरचित विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार यथा अवधारित ऐसे रकमों के संदाय पर या अन्य निबंधनों पर प्रशासनिक और सिविल कार्रवाईयों का निपटान करने के लिए बोर्ड को सशक्त करता है।

खंड 21—यह खंड, रकमों की वसूली से संबंधित निक्षेपागार अधिनियम, 1996 में एक नई धारा 19झख को अंत:स्थापित करता है। यह खंड अन्य बातों के साथ बोर्ड को व्यतिक्रमियों की जंगम और स्थावर संपत्ति को किसी न्यायालय में जाए बिना, कुर्क और विक्रय करने के लिए तथा व्यतिक्रमियों के बैंक खातों को कुर्क करने के लिए यदि सशक्त करता है यदि कोई व्यक्ति न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति के संदाय में असफल होता है या वह धन के प्रतिदाय के लिए बोर्ड के किसी निदेश का अनुपालन में असफल होता है या धारा 19 के अधीन जारी प्रत्यर्पित आदेश के निदेश के अनुपालन में असफल होता है या बोर्ड को देय किसी फीस के संदाय में असफल होता है।

खंड 22—यह खंड, निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 22 की उपधारा (2) का लोप करता है क्योंकि अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों के गठन के लिए एक नया उपबंध, खंड 23 में अंत:स्थापित किया गया है।

खंड 23—यह खंड, निक्षेपागार अधिनियम, 1996 में नई धारा 22ग से धारा 26छ का अंत:स्थापन करता है जो अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना से संबंधित है। नई धारा 26ग का अंत:स्थापन किया जाना प्रस्तावित किया जाता है जो ऐसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, जिसकी अधिकारिता के भीतर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष न्यायालय की स्थापना के लिए उपबंध करता है। यह, यह और उपबंध करता है कि विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति ऐसा होगा जो ऐसी नियुक्ति से ठीक पूर्व सेशन न्यायाधीश या कोई अपर सेशन न्यायाधीश था। यह, एक नई धारा 26घ को अंत:स्थापित करने के लिए भी प्रस्तावित करती है जो यह उपबंध करती है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध जो प्रतिभूति विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रारंभ की तारीख से पूर्व या ऐसे प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् किए गए हैं, उन पर केवल विशेष न्यायालयों द्वारा संज्ञान लिया जाएगा और विचारण किया जाएगा। नई धारा 26ङ का अंत:स्थापन किया जाना भी प्रस्तावित किया गया है जो अपील और पुनरीक्षण से संबंधित है। यह भी उपबंध किया गया है कि उच्च न्यायालयों को अपील या पुनरीक्षण की शक्ति होगी यदि विशेष न्यायालय, उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर विचारण करने वाले सेशन न्यायालय थे। एक नई धारा 26च का अंत:स्थापन किया जाना भी प्रस्तावित किया गया है जो यह उपबंध करता है कि विशेष न्यायालय का, सेशन न्यायालय होना समझा जाएगा और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध विशेष न्यायालय को लागू होंगे तथा विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाला व्यक्ति, लोक अभियोजक समझा जाएगा। एक नई धारा 26छ का अंत:स्थापन किया जाना भी प्रस्तावित किया गया है जो यह उपबंध करता है कि जब तक ऐसे विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएं, विद्यमान सेशन न्यायालय, अधिकारिता का प्रयोग करना जारी रखेंगे। तथापि, इससे मामला हस्तांतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्तियां प्रभावित नहीं होंगी।

खंड 24—यह खंड, निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 23क की उपधारा (2) को लोप करता है क्योंकि प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों के निपटान के लिए एक नया उपबंध, खंड 20 में अंत:स्थापित किया गया है।

खंड 25—यह खंड, कतिपय अधिनियमों के विधिमान्यकरण के लिए निक्षेपागार अधिनियम, 1996 में नई धारा अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव करता है।

खंड 26—यह खंड, प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 के निरसन और व्यावृत्ति से संबंधित नए खंड को अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव करता है।

वित्तीय ज्ञापन

1. विधेयक का खंड 9 भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 में नई धारा 26क को अंत:स्थापित करता है जिससे उस अधिनियम के अधीन अपराधों के शीघ्र विचारण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए उतने विशेष न्यायालय जितने आवश्यक हों, स्थापित या अभिहित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त कर सकें।

2. विधेयक का खंड 17 प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में नई धारा 26क को अंत:स्थापित करता है जिससे उस अधिनियम के अधीन अपराधों के शीघ्र विचारण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए उतने विशेष न्यायालय जितने आवश्यक हों, स्थापित या अभिहित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त कर सकें।

3. विधेयक का खंड 23 निक्षेपागार अधिनियम, 1996 में नई धारा 22ग को अंत:स्थापित करता है जिससे उस अधिनियम के अधीन अपराधों के शीघ्र विचारण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए उतने विशेष न्यायालय जितने आवश्यक हों, स्थापित या अभिहित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त कर सकें।

4. वर्तमान में भारत की संचित निधि पर इस प्रस्ताव से उद्‌भूत कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि विशेष न्यायालयों के गठन के कारण कोई व्यय उपगत होना प्रस्तावित होता है तो उसकी व्यय विभाग द्वारा विषय पर नियमों के अनुसार पूर्ति की जाएगी।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

1. विधेयक का खंड 2 भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड को धारा 11 की उपधारा (5) के अधीन प्रत्यर्पित रकम का उपयोग विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त करता है।

2. विधेयक का खंड 3 बोर्ड को धारा 11कक की उपधारा (2क) के अधीन सामूहिक विनिधान स्कीम से संबंधित अन्य शर्तों के पूरे करने को विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त करता है।

3. विधेयक का खंड 5 बोर्ड को धारा 11ग की उपधारा (9) के अधीन तलाशी या अभिग्रहण के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया को विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करने के लिए बोर्ड को सशक्त करता है।

4. विधेयक का खंड 6 निपटारा कार्रवाइयों के लिए बोर्ड द्वारा अवधारित शर्तें और निपटारा कार्रवाइयों को संचालित करने के लिए प्रक्रिया विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त करता है।

5. ऐसे विषय जिनके संबंध में विनियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं तथा उनके लिए बिल में ही उपबंध करना व्यवहारिक नहीं है अत: विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 को प्रतिस्थापित करने वाले विधेयक में अंतर्विष्ट उपांतरणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन

प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक, 2013, जो प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 को निरसित और प्रस्थापित करता है, करने के लिए है, उक्त अध्यादेश में अंतर्विष्ट उपबंधों में पारिणामिक या प्रारूपण प्रकृति के उपांतरणों से भिन्न निम्नलिखित उपातंरण करना प्रस्तावित करता है, अर्थात्:—

(1) अध्यादेश में निर्दिष्ट ''अध्यादेश'' शब्द, विधेयक में ''अधिनियम'' शब्द को प्रतिस्थापित करता है।

(2) अध्यादेश में आय-कर अधिनियम की धारा ''231'' के निर्देश को विधेयक के खंड 10, खंड 15 और खंड 21 में हटाया गया है क्योंकि आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 231 को निरसित किया गया है।

(3) ''संज्ञान लिया जाएगा और'' शब्दों को विधेयक में खंड 9, खंड 17 और खंड 23 में अंत:स्थापित किया गया है।

(4) कतिपय अधिनियमों के विधिमान्यकरण से संबंधित नया खंड 12, खंड 18 और खंड 25 को विधेयक में अंत:स्थापित किया गया है।

(5) विधेयक का खंड 26 अध्यादेश के निरसन और व्यावृत्ति से संबंधित नया उपबंध है।

उपाबंध

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का अधिनियम संख्यांक 15) से उद्धरण

* * * * *

11. (1) * * * * * बोर्ड के कृत्य।

(2) पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसमें निर्दिष्ट अध्युपायों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

* * * * *

(झक) ऐसी प्रतिभूतियों में किसी संव्यवहार की बाबत, जो बोर्ड द्वारा अन्वेषण या जांच के अधीन है, किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित किसी बैंक या किसी अन्य प्राधिकारी या बोर्ड या निगम से सूचना और अभिलेख मंगाना।

* * * * *

11ककक. (1) ऐसी कोई स्कीम या इंतजाम जो उपधारा (2) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती है, सामूहिक विनिधान स्कीम होगी। सामूहिक विनिधान।

(2) किसी कंपनी द्वारा बनाई गई या प्रस्थापित कोई स्कीम या इंतजाम जिसके अधीन,—

* * * * *

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, कोई ऐसी स्कीम या इंतजाम—

* * * * *

11ख. धारा 11 में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, यदि कोई जांच करने या कराए जाने के पश्चात् बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि— निदेश देने की शक्ति।

(i) विनिधानकर्ताओं के हित में या प्रतिभूति बाजार के व्यवस्थित विकास के लिए; या

(ii) धारा 12 में निर्दिष्ट किसी मध्यवर्ती या अन्य व्यक्तियों के ऐसे कार्यकलापों को, जो ऐसी रीति से संचालित किए जाते हैं जो विनिधानकर्ताओं अथवा प्रतिभूति बाजार के हितों के लिए हानिकर है, रोकने के लिए; या

(iii) ऐसे किसी मध्यवर्ती या व्यक्ति का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए,

ऐसा करना आवश्यक है तो वह—

(क) धारा 12 में निर्दिष्ट या प्रतिभूति बाजार से सहयुक्त किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को; या

(ख) धारा 11क में विनिर्दिष्ट विषयों की बाबत किसी कम्पनी को, ऐसे निदेश दे सकेगा, जो प्रतिभूतियों में विनिधानकर्ताओं और प्रतिभूति बाजार के हित में उचित हो।

11ग. (1) * * * * * अन्वेषण।

(8) जहां अन्वेषण के दौरान, अन्वेषक प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार है कि मध्यवर्ती या प्रतिभूति बाजार से किसी रीति से सहयुक्त किसी व्यक्ति की या उससे संबंधित बहियां, रजिस्टर, अन्य दस्तावेज और अभिलेख नष्ट, विकृत, परिवर्तित, मिथ्याकृत किए या छिपाए जा सकते हैं, वहां अन्वेषक प्राधिकारी, अधिकारिता रखने वाले प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को ऐसी बहियों, रजिस्टरों, अन्य दस्तावेजों और अभिलेख के अभिग्रहण के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा।

(9) मजिस्ट्रेट, आवेदन पर विचार करने और अन्वेषक प्राधिकारी को सुनने के पश्चात्, यदि आवश्यक हो तो, आदेश द्वारा अन्वेषक प्राधिकारी को—

(क) ऐसे स्थान या स्थानों में जहां ऐसी बहियां, रजिस्टर, अन्य दस्तावेज और अभिलेख रखे गए हैं, यथा अपेक्षित सहायता के साथ प्रवेश करने के लिए;

(ख) उस स्थान या उन स्थानों की आदेश में विनिर्दिष्ट रीति से तलाशी लेने के लिए; और

(ग) उन बहियों, रजिस्टरों, अन्य दस्तावेजों और अभिलेख को अभिगृहीत करने के लिए, जिन्हें वह ऐसे अन्वेषण के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझता है,

प्राधिकृत कर सकेगा:

परंतु मजिस्ट्रेट, सूचीबद्ध पब्लिक कंपनी या ऐसी पब्लिक कंपनी (जो धारा 12 के अधीन विनिर्दिष्ट मध्यवर्तियां नहीं हैं) की, जो किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध कराने का आशय रखती है, बहियों, रजिस्टरों, अन्य दस्तावेजों और अभिलेख के अभिग्रहण को तब तक प्राधिकृत नहीं करेगा जब तक कि ऐसी कंपनी अंतरंग व्यापार या बाजार छलसाधन में नहीं लगी है।

(10) अन्वेषक प्राधिकारी, इस धारा के अधीन अभिगृहीत बहियों, रजिस्टरों, अन्य दस्तावेजों और अभिलेख को, ऐसी अवधि के लिए, जो अन्वेषण के पूरा होने के बाद की नहीं होगी, अपनी अभिरक्षा में रखेगा जैसा वह आवश्यक समझे तथा उसके पश्चात् उनको, कंपनी या अन्य निगमित निकाय को या, यथास्थिति, उस प्रबंध निदेशक या प्रबंधक या किसी अन्य व्यक्ति को वापस करेगा जिसकी अभिरक्षा या नियंत्रण में से वे अभिगृहीत किए गए थे, और इस प्रकार लौटाने के बारे में मजिस्ट्रेट को सूचना देगा:

परंतु अन्वेषक प्राधिकारी, यथापूर्वोक्त ऐसी बहियों, रजिस्टरों, अन्य दस्तावेजों और अभिलेख को वापस करने से पूर्व, उन पर या उनके किसी भाग पर पहचान चिह्न लगा सकेगा।

* * * * *

प्रतिभूति अपील अधिकरण की अपील।

15न. (1) * * * * *

''(2) प्रतिभूति अपील अधिकरण को कोई अपील–

(क) प्रतिभूति विधि (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1999 के प्रारंभ को और उसके पश्चात् बोर्ड द्वारा,

(ख) किसी न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा,

पक्षकारों की सहमति से, किए गए किसी आदेश के विरुद्ध नहीं की जाएगी।'';

* * * * *

न्यायालयों द्वारा अपराधों का संज्ञान।

26. (1) * * * * *

(2) सेशन न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

* * * * *

विनियम बनाने की शक्ति।

30. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्यांक 42) से उद्धरण

* * * * *

निदेश जारी करने की शक्ति।

12क. यदि जांच करने के पश्चात् या जांच करवाए जाने के पश्चात् भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि,—

(क) विनिधानकर्ताओं के हित में या प्रतिभूति बाजार के सुव्यवस्थित विकास के लिए; या

(ख) किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या समाशोधन निगम या ऐसे अन्य अभिकरण या व्यक्ति के, जो प्रतिभूतियों के संबंध में व्यापार या समाशोधन या समझौते की सुविधाएं की सुविधाएं प्रदान कर रहा है, कार्यकलापों को, जो ऐसी रीति में किए जा रहे हैं, जो विनिधानकर्ताओं या प्रतिभूति बाजार के हित के लिए हानिकारक हैं, निवारित करने के लिए; या

(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी ऐसे स्टॉक एक्सचेंज या समाशोधन निगम या अभिकरण या व्यक्ति का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए,

ऐसा करना आवश्यक है तो वह,—

(i) खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी स्टॉक एक्सचेंज या समाशोधन निगम या अभिकरण या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को, जो प्रतिभूति बाजार से सहबद्ध है; या

(ii) किसी ऐसी कंपनी को, जिसकी प्रतिभूतियां किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है या सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित हैं, ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो प्रतिभूतियों में विनिधानकर्ताओं और प्रतिभूति बाजार के हितों के लिए समुचित हों।

अध्याय 6
प्रकीर्ण

न्यायालयों द्वारा अपराधों का संज्ञान।

26. (1) * * * * *

(2) सेशन न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

* * * * *

निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम संख्यांक 22) से उद्धरण

कतिपय दशाओं में निदेश देने की बोर्ड की शक्ति।

19. इस अधिनियम में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, यदि कोई जांच या निरीक्षण करने या कराए जाने के पश्चात्, बोर्ड का यह समाधान हो जाता है, कि—

(i) विनिधानकर्ताओं के हित में या प्रतिभूति बाजार के व्यवस्थित विकास के लिए; या

(ii) किसी निक्षेपागार या सहभागी के ऐसे कार्यकलापों को, जो ऐसी रीति से संचालित किए जाते हैं, जो विनिधानकर्ताओं या प्रतिभूति बाजार के हितों के लिए हानिकर है, रोकने के लिए,

ऐसा करना आवश्यक है तो वह—

(क) प्रतिभूति बाजार के साथ सहयुक्त किसी निक्षेपागार या सहभागी या किसी व्यक्ति को; या

(ख) किसी निर्गमकर्ता को,

ऐसे निदेश दे सकेगा, जो विनिधानकर्ताओं या प्रतिभूति बाजार के हित में समुचित हों।

* * * * *

न्यायालयों द्वारा अपराधों का संज्ञान।

22. (1) * * * * *

(2) सेशन न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

* * * * *

प्रतिभूति अपील अधिकरण को अपील।

23क. (1) * * * * *

(2) बोर्ड द्वारा किए गए किसी आदेश के विरुद्ध पक्षकारों की सहमति से प्रतिभूति अपील अधिकरण को कोई अपील नहीं की जाएगी।

* * * * *

GMGIPMRND—1749LS(S-4)—07.08.2013